प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 10.10.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 10.10.2025 को निम्न अभियोग मे सजा करायी गयी है।

1. थाना सैफई

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 42,000/- रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 04 अभियुक्तगण को मा0 न्या0 एडीजे-3 डकैती कोर्ट इटावा द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 42,000/- रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.10.2020 को थाना सैफई क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तणो द्वारा अपने हाथो में नाजायज तमंचा लेकर वादी के बहनोई अरविन्द दुबे व अन्य दो को जमीनी विवाद को लेकर जान से मारने की नीयत से फायर करना जिससे वादी के बहनोई अरविन्द व अन्य दो का गम्भीर रुप से घायल हो जाना व उपचार के लिए ले जाते समय अरविन्द दुबे की मृत्यु हो जाने के संबंध मे तहरीरी सूचना दी गयी। सूचना के आधार पर थाना सैफई पर **मु0अ0सं0-247/2020 धारा 147/148/149/302/307/504/34 भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष श्री सतीश यादव व प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का0 गुलाब सिंह व एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 10.10.2025 को अन्तर्गत **धारा 147/148/149/302/307/504/34 भादवि में मा0 न्या0 एडीजे-3 डकैती कोर्ट, इटावा के द्वारा अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 42,000/- रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1.उमाकान्त दुबे पुत्र रमेशचन्द्र दुबे
2. अभय पुत्र उमाकान्त
3.अंशुल दुबे पुत्र उमाकान्त
4.जूली पत्नी उमाकान्त निवासीगण लरखौर थाना सैफई जनपद इटावा।